न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 304/2018

प्रार्थीः–

1 शांतिलाल पुत्र मूलाराम, जाति जाट, निवासी आलावास, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0)

अप्रार्थीः–

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक **15.10.2019**

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आलावास प0 हल्का आलवास, तह0 सोजत के खसरा नम्बर 489 रकबा 7.1600 है0 किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि में से 0.0300 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। खसरा नम्बर 489 में 0.0300 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी के पिता मुलाराम पुत्र चिमना का कब्जा काश्त चला आ रहा था, जिसका उपयोग प्रार्थी के पिता गोबर रखते एवं पशुओं को बांधने के लिए बाड़े के रूप में लेते तथा वर्तमान में प्रार्थी शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बांधा एवं अवरोध के काबिज चला आ रहा है, जिस पर चारदीवारी की हुई है। प्रार्थी के पिता के वर्ष 1994 से पहले से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रति वर्ष प्रार्थी के पिता के कब्जा बाबत् राज्य सरकार से राशि वसूल की जा रही है। उक्त भूमि में आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान में जरिये अप्रार्थी पेश किया गया तथा रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि के आवंटन की मांग की गई। उक्त आवेदन पत्र के अनुसार पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसका प्रस्तावित स्थान को दर्शित करते हुए नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित स्थान दर्शाया गया है। जिस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रस्ताव स्थान को चिन्हित किया गया तथा सभी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त प्रस्तावित नक्शा में प्रस्तावित स्थान को दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.0200 हैक्टर का प्रस्तावित स्थान बताया गया है। जिस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण हेतू स्थान प्रस्तावित किया गया है। उस स्थान पर तरमीम नहीं किया जाकर पटवारी हल्का ने प्रार्थी के कब्जाशुदा भू–भाग जिसके चारों तरफ चार दीवार की हुई है जिसमें एक कमरा एवं टीनशेड बना हुआ है, जिस स्थान पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना खसरा नंबर 489/2 का प्रार्थी के कब्जासुदा बाड़ा के स्थान पर तरमीम कर दिया। जबकि आवंटन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा में आवंटित भूमि अलग स्थान पर है, जो आज भी खाली जगह पड़ी है। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का ने गलत स्थान पर तस्दीक कर दी गई, जिस स्थान पर तरमीम की गई उस स्थान पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का वर्षो पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदी भूमि के चारों तरफ चारदीवारी की हुई है। पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया नजरी नक्शा में भी प्रस्तावित स्थान अलग से दर्शाया गया है। प्रार्थी के कब्जासुदा भू–भाग के स्थान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पर उक्त नजरी नक्शे में खुल्ली जगह बताई गई है। उक्त आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा नक्शा में प्रस्तावित नक्शा के अनुसार तरमीम कर प्रार्थी कब्जासुदा भूमि पर नक्शा पर तरमीम कर दी गई है, जो तरमीम गलत हुई है। जबकि खसरा नम्बर 489 रकबा 7.1000 हैक्टर भूमि है, जिसमें कही पर भी उक्त आवंटन किया जा सकता था। पटवारी हल्का के द्वारा गलत आवंटन किया गया है तथा अब प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए पटवारी हल्का द्वारा तरमीम को हटवाया जाकर खसरा नम्बर 489 में अन्यत्र आंगनवाड़ी केन्द्र आवंटित की भूमि दी जा सकती है। प्रस्तावित स्थल में भी स्पष्ट अलग से आंगनवाड़ी केन्द्र की जगह बताई गई है। प्रार्थी को उक्त किये गये तरमीम की जानकारी होने के बाद दिनांक 25.6.2018 को तहसील कार्यालय उपस्थित होकर उक्त किये गये गलत तरमीम को दुरूस्त कर प्रस्तावित स्थल के अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी के द्वारा उक्त की गई गलत तरमीम को शुद्धि करने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां दी। प्रस्तावित स्थल अनुसार तरमीम नहीं कर दूसरे स्थान पर तरमीम कर दी गई है, जिसे पुनः तरमीम को हटाया जाकर प्रस्तावित स्थान पर अनुसार तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पटवारी हल्का द्वारा जिस स्थान पर तरमीम की गई है, उस स्थान पर प्रार्थी का अपने पिता के समय के कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी का बाड़ा बना हुआ है, जहां पर वर्षो से मवेशी बांधने एवं अन्य सामान रखने के उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। यदि उक्त तरमीम को शुद्धि नहीं किया गया है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उक्त भूमि से महरूम होना पड़ेगा। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा आलवास के नक्शा लटटा में खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.0300 हैक्टर का पूर्व में किये गये आदेश तरमीम को हटवाया जाकर खसरा न0 489 में से 489/2 अन्यत्र तरमीम करने का आदेश दिये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को वास्ते जबाब प्रा0 पत्र पेश किया गया। तहसीलदार सोजत ने दिनांक 12.06.2019 को जबाब प्रा0 पत्र पेश किया कि सरहद मौजा आलावास में खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.02 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आंगनवाड़ी केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर श्री मूलाराम पुत्र चिमना ने पक्की चार दिवारी, कर भीतर टीन शेड के कमरे बना कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध सम्वत् 2075 में एलआर एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जा चूका है। जिसमें अतिक्रमी के बेदखली के आदेश पारित किये जा चूके है। पटवारी हल्का आलावास द्वारा की गई तरमीम सही है व तरमीम किये गये स्थान पर प्रार्थी के पिता द्वारा किया गया अतिक्रमण हटवा कर उक्त भूमि पर आंगनवाड़ी केन्द्र बनाई जानी प्रस्तावित है। पटवारी हल्का की संलग्न प्रस्तुत रिपोर्टानुसार मौजा–आलावास के ख0न0 489/2 रकबा 0.0200 है0 किस्म गै0मु0 आंगनवाड़ी केन्द्र, महिला व बाल विकास विभाग खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खसरे में मौके पर आज दिनांक को शांतिलाल पुत्र मूलाराम कौम जाट का अतिक्रमण है। जिसकी पक्की चार दीवारी कर इसके भीतर टीन शेड के कमरे बनाकर लौहे का पक्का दरवाजा लगा हुआ है। इसका यह अतिक्रमण 489/2 व 489 रकबा क्रमशः 0.02, 0.01 हैक्टर में है। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध सम्वत् 2075 में एल0आर0 को धारा 91 के तहत रकबा 0.01 है0 पर प्रकरण बनाकर पेश किया हुआ है। तहसीलदार, सोजत को तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2019/460 दिनांक 11.07.2019 द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रा0 पत्र सं0 304/2018 अनवान शांतिलाल बनाम तहसीलदार, सोजत अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू0 राज0 अधिनियम 1956 में विवाद ग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत के खसरा नं0 489 रकबा 7.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का स्वयं द्वारा या भू–अभिलेख स्तर के कार्मिक द्वारा नियमानुसार जांच कर उक्त वर्णित विवाद ग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रैकर्ड एवं मौके की जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2019/3063 दिनांक 07.10.2019 द्वारा राजस्व अभिलेख/राजस्व रेकर्ड एवं मौका अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, सा0मिसल की गई। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं मौका जांच कर प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्टानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम आलावास के ख0न0 489 रकबा 7.03 है0 किस्म बा0अ0 ग्राम पंचायत रेन्दड़ी के नाम दर्ज है। न्यायालय हाजा के आदेश से भूमि आवंटन नामान्तरकरण संख्या 792 स्वीकृति दिनांक 05.06.2013 के अनुसार ख0न0 489/2 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 आगनबाड़ी केन्द्र 1 महिला एवं बाल विकास विभाग, ख0न0 489/3 रकबा 0.02 हैक्टर हिस्सा आंगनवाड़ी II महिला एवं बाल विकास विभाग एवं ख0न0 489/4 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0 गौदाम सहकारिता विभाग के नाम से दर्ज है। राजस्व नक्शा में उक्त भूमि आवंटित ख0न0 489/2, 489/3, 489/4 की तरमीम हो रखी है। मौका स्थिति अनुसार आवंटित भूमि ,ख0न0 489/2, ख0न0 489/3 आंगनवाड़ी केन्द्र 1, 2 का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि आवंटित भूमि ख0न0 489/4 रकबा 0.03 पर सहकारिता विभाग का गौदाम बना हुआ है। आंगनवाड़ी केन्द्र 1 को आवंटित भूमि 489/2 रकबा 0.02 है0 पर आज दिनांक को शांतिलाल पुत्र मूलाराम, कौम जाट का अतिक्रमण है, जिसकी पक्की चार दिवारी कर इसके भीतर टीन शेड का कमरा बनाकर लोहे का पक्का दरवाजा लगा हुआ है। इसका यह अतिक्रमण लगभग 489/2 व 489 रकबा क्रमशः 0.02, 0.01 है0 में है एवं उक्त व्यक्ति के विरूद्ध सम्वत् 2075 में एल0आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण बनाकर पेश किया हुआ है। पूर्व में पटवारी द्वारा पेश किया है। प्रार्थी शांतिलाल के पिता मूलाराम पुत्र चिमनाराम, जाति जाट के नाम से सम्वत 2037 में खसरा परिवर्तनशील में दर्ज हैं फिर इसके भाई के नाम मूलाराम पुत्र चिमनाराम कौम जाट के नाम से सम्वत् 2050 में वर्ष 1993–94 में खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है एवं वर्तमान में प्रार्थी शांतिलाल का अतिक्रमण हो रखा है। पटवारी हल्का आलावास, भू0अ0 निरीक्षक वृत–सोजत रोड़ एवं तहसीलदार, सोजत की उक्तानुसार वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा दिनांक 12.06.2019 को प्रस्तुत जबाब प्रा0 पत्र रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा उपसंरपंच, ग्रा0 प0 रेन्दड़ी द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 01.06.2019 सामिल मिसल किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान वस्तुस्थिति की राजस्व रेकर्ड एवं मौका जांच रिपोर्टस दिनांक 25.09.2019 तथा जबाब प्रा0 दिनांक 12.06.2019 मय नजरी नक्शा सरहद मौजा आलावास के नक्शा लटटा में ख0न0 489/2 रकबा 0.0300 हैक्टर का पूर्व में किये गये तरमीम को हटवाया जाकर ख0न0 489 में से 489/2 अन्यत्र दुरूस्त तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार, सोजत ने उक्तानुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने में कोई आपत्ति नहीं कर स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र, जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 12.06.2019 तहसीलदार, सोजत व पटवारी हल्का–आलावास की रिपोर्ट मौका नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस उप संरपंच ग्रा0प0 रेन्दड़ी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्र दिनांक 01.06.2016 तथा तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/राजस्व/2019/3063 दिनांक 07.10.2019 पटवारी हल्का आलावास भू0अ0 निरीक्षक सोजत रोड़ की संयुक्त मौका जांच की वस्तुस्थिति रिपोर्ट की गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस उभयपक्षों पर गौर कर मनन किया गया। कि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

सरहद मौजा आलावास में खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.02 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आंगनवाड़ी केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम दर्ज है। किन्तु राजस्व नक्शा (नक्शा लटट्ा) में तरमीम गलत रूप से की गई है। अर्थात् पूर्व में की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है। फलतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना, सरहद मौजा आलावास के वर्तमान राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.0300 हैक्टर की पूर्व में 489/2 अन्यत्र त्रुटिपूर्ण की गई तरमीम को निरस्त किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाना कि राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड की वास्तविक रूप से जांच करके प्रावधानों अनुरूप तरमीम दुरूस्ती की नियमानुसार पुनः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे, तहसीलदार, सोजत को इस हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा आलावास के नक्शा लट्टा मे ख0न0 489 में ख0न0 489/2 की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड की वास्तविक रूप से जांच करके दुरूस्ती तरमीम की नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner